## महत्वपूर्ण एवं खास

### रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में वेन्टिलेटर को लेकर डाली गई थी भ्रामक पोस्ट, एफआईआर दर्ज

**रायगढ़।** दिनांक 22.04.2021 को विक्रांत सिंह राठौर, नायब तहसीलदार रायगढ़ द्वारा थाना चक्रधरनगर में अंशु टुटेजा रायगढ़ द्वारा अपने फेसबुक आई डी से मेडिकल कालेज रायगढ़ के वेन्टिलेटर के संबंध में भ्रामक फेसबुक पोस्ट को लेकर संबंधित पर कार्यवाही किए जाने को लेकर आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया है।

नायब तहसीलदार के आवेदन पत्र अनुसार दो दिन पहले अंशु टुटेजा द्वारा मेडिकल कॉलेज में कोविड मरीजों के लिये उपलब्ध वेन्टिलेटर की संख्या व स्थिति को लेकर भ्रामक खबर फैलाई गई थी, जिससे फ्रंट लाईन के कर्मचारी चिकित्सकों एवं प्रशासन की छबि खराब हो रही है। ऐसे पोस्ट के जरिये लोगो के जीवन संकट में आने का खतरा बढ सकता है। आवेदन पत्र पर से पोस्ट वायरल करने वाले पर धारा 269, 270 भादवि, एवं धारा 54 आपदा प्रबंधन अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

### लोहे के कत्ता से लोगों को डरा रहे व्यक्ति पर आर्म्स एक्ट की कार्रवाई

**पुसौर।** पुसौर पुलिस को आज दिनांक 22.04.2021 को 307 भादवि मामले में जमानत पर रिहा हुये लक्ष्मी प्रसाद सारथी द्वारा ग्राम बडे भंडार आम रोड एवं सार्वजनिक स्थान पर लोहे का कत्ता लेकर लोगों को डराने की सूचना मिली। स्टाफ द्वारा मौके पर पहुंचकर लक्ष्मी प्रसाद सारथी पिता सोनकेश्वर सारथी उम्र- 35 वर्ष सा. बड़े भंडार थाना-पुसौर से सुरक्षापूर्वक हथियार छिनकर आरोपी को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। आरोपी के विरूद्ध थाना पुसौर में 25, 27 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की गई है।

### नियत प्रकरणों की सुनवाई अब 8 एवं 14 जून को होगी

**रायगढ़।** न्यायालय कलेक्टर रायगढ़ द्वारा सर्व पक्षकारगण एवं अधिवक्तागण को सूचित किया गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु 27 अप्रैल 2021 तक के लिये जिले के संपूर्ण सीमाक्षेत्र को कन्टेनमेन्ट जोन घोषित किया गया है। जिसकी वजह से न्यायालय कलेक्टर में नियत समस्त प्रकरण (आदेश हेतु नियत प्रकरणों को छोड़कर)की सुनवाई के लिये आगामी तिथि निर्धारित की गई है। जिसके तहत 24 अप्रैल 2021 को होने वाली सुनवाई 8 जून 2021 को तथा 26 अप्रैल 2021 को होने वाली सुनवाई 14 जून 2021 को नियत की गई है।

### अचानक बढ़ा भीड़, सब्जी बेचने वाले पर हुई एफआईआर

**रायगढ़ (आरएनएस)।** लाक डाउन की अवधि में रायगढ़ के नवीन मंडी प्रांगण पटेलपाली के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर सड़क में 32 वर्षीय रायगढ़ निवासी दिलीप कुमार तिवारी एवं अन्य कुछ व्यक्तियों द्वारा वाहन पिकप क्रमांक सीजी 13 डी 3565 में अवैधानिक रूप से भीड़ एकत्रित कर सब्जी क्रय-विक्रय किया जा रहा था। जिसकी सूचना मिलते ही रायगढ़ एसडीएम के निर्देशन में मंडी निरीक्षक रमेश कुमार गुप्ता एवं अन्य मंडी कर्मचारियों ने वहां जाकर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ द.प्र.स.की धारा 154 (ब)के अंतर्गत कार्यवाही की। साथ ही मंडी निरीक्षक ने उन्हें समझाईश दी कि कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के कारण जिले में 27 अप्रैल 2021 तक लाकडाउन लगाया गया है। उक्त अवधि में फल सब्जी का विपणन कार्य थोक फल सब्जी मंडी प्रांगण पटेलपाली में प्रतिबंधित है।

### हाथी के हमले में ग्रामीण घायल

**कोरबा (आरएनएस)।** जिले के वनमंडल कटघोरा के केंदई, पसान व एतमानगर रेंज में हाथियों का आतंक बना हुआ है। बीती रात एतमानगर रेंज के मड़ई गांव में दिशा मैदान के लिए जा रहे एक ग्रामीण पर दंतैल ने हमला बोल दिया जिससे वह घायल हो गया। घायल ग्रामीण उपचार के लिए तत्काल पोड़ी उपरोड़ा सीएचसी ले जाया गया। जहां उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। वन विभाग ने तत्कालिक सहायता राशि उपलब्ध करा दी है। जानकारी के अनुसार हाथी के हमले की यह घटना मड़ई गांव में बुधवार रात को 10 बजे के लगभग घटित हुई। बताया जाता है कि यहां के छापरपारा निवासी पहारू राम पिता रूप सिंह मरकाम नामक व्यक्ति दिशा मैदान के लिए जा रहा था तभी बस्ती के निकट घूम रहे एक दंतैल ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। पहारू राम द्वारा मदद के लिए आवाज लगाए जाने पर ग्रामीण मशाल लेकर घटना स्थल की ओर दौड़े। ग्रामीणों को आता देख दंतैल जंगल में जाकर छिप गया।

# बरमकेला सीएचसी में कोरोना पीड़ित महिला की हुई सफल डिलीवरी

**जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ, बच्चे की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव, डिलीवरी कराने वाली नर्सेज ने कहा नव जीवन के आगमन का साक्षी बनकर मिला सुकून**

**रायगढ़ । कोरोना महामारी के इस कठिन दौर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरमकेला के डॉक्टर्स एवं नर्सिंग स्टाफने एक कोरोना पीड़ित महिला की सफल डिलीवरी करायी। जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। बच्चे की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव है।**

कोरोना महामारी के दूसरी लहर से पूरा देश-प्रदेश जूझ रहा है। हास्पिटलों में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होते जा रहा है, जिसके लिये डॉक्टर्स एवं हास्पिटल की पूरी टीम दिन-रात अपनी ड्यूटी पूरी गंभीरता से निभा रहे है। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों को ट्रैक कर, उनका उपचार किया जा रहा है। इसी बीच कोरोना पाजीटिव गर्भवती महिलाओं का सुरक्षित प्रसव कराना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है।

ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरमकेला के स्टाफ ने एक कोविड संक्रमित महिला की सफल डिलीवरी करायी है। बरमकेला विकासखंड के सीमावर्ती वनांचल क्षेत्र स्थित ग्राम दुलोपाली की 23 वर्षीय महिला को प्रसव पीड़ा होने पर 108 वाहन के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लेन्ध्रा लाया गया तो वहां प्रसूता महिला के प्राथमिक जांच के साथ कोविड एंटीजन जांच करने पर उसके पाजीटिव होने की पुष्टि हुई। जिस पर संस्था प्रभारी ने प्रसूता को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरमकेला के लिये रिफर कर दिया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरमकेला में उपस्थित स्टाफ नर्स कु.अनिता सोरी, श्रीमती संतोषी पटेल, कु.दशमती सिदार एवं श्रीमती संतरा बाई ने कुशलता से महिला का सुरक्षित प्रसव कराया। इस दौरान महिला चिकित्सक डॉ.नीलकुमारी पटेल, वरिष्ठ चिकित्सक डॉ.संजय अग्रवाल एवं डॉ.संजय पटेल एवं हास्पिटल की टीम मौजूद थी। महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित है। बच्चे की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव है। उनके बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिये उन्हें उच्च संस्था रायगढ़ रिफर कर दिया गया है। सफल डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल स्टाफ में भी खुशी का माहौल था। नर्सिंग स्टाफ ने कहा कि कोरोना के इस कठिन दौर में आज नव जीवन का इस दुनिया में आगमन का साक्षी बनना बहुत सुकून दे रहा है। आज कोरोना संक्रमण को लेकर गर्भवती माताओं में ज्यादा चिंता है। उन्हें खुद के साथ अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की सुरक्षा का ध्यान रखना होता है। ऐसे में कोरोना संक्रमित महिला की सफल डिलीवरी कराना आत्मिक संतोष देता है।

## जमीन विवाद... हिस्सा बटवारा को लेकर बड़े भाई पर टंगिया से हमला, लैलूंगा थानाक्षेत्र की घटना

**रायगढ़।** गुरुवार को ग्राम कमरगा उरांव मोहल्ला में रहने वाली श्रीमती राजकुमारी चौहान पति नेहरू चौहान उम्र 41 वर्ष द्वारा इसके देवर ज्ञान पाण्डे और भतीजा विश्वनाथ चौहान द्वारा घर घुसकर जमीन विवाद को लेकर नेहरू चौहान को गाली गलौच कर टांगी से सिर में मारकर चोंट पहुंचाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है।

रिपोर्टकर्ता श्रीमती राजकुमारी बताई कि इनके पति के 05 भाई है सभी अलग अलग रहते है। इसका पति भाईयों से हिस्सा बटवारा कर अपने हिस्से के मकान जमीन जायजाद काबिज है। दिनांक 21/04/2021 के रात्रि करीबन 08-09 बजे के बीच देवर ज्ञान पाण्डे उसके लडके विश्वनाथ चौहान के साथ घर आया। विश्वनाथ चौहान अपने हाथ में टंगिया रखा था घर पर दोनों पति-पत्नी थे। इनके दोनों लडके मोहल्ले तरफ गये हुये थे। देवर ज्ञान पाण्डे अपने बड़े भाई नेहरू को ÷तुम पट्टा को अलग करवा लिये हो बडे आदमी बन गये हो÷ कहकर गंदी-गंदी गाली गलौच कर हाथ मुक्का से मारपीट करने लगा। उसी बीच विश्वनाथ चौहान अपने हाथ में रखे टंगिया से नेहरू को गले में मारने का प्रयास किया जो गले में न लगकर सिर माथा में लगा, जिससे काफी खून निकलने लगा और नेहरू बेहोश हो गया। घटना के बाद डायल 112 को कॉल कर बुलाये और आहत को सीएचसी लैलूंगा में भर्ती कराये। घटना के रिपोर्ट पर थाना लैलूंगा में आरोपियों के विरूद्ध धारा 307,34 भादवि का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

## छाल व भूपदेवपूर पुलिस ने शादी वाले घरों दी दबिश अनुमति से अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर लगाया जुर्माना

**रायगढ़।** बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा वैवाहिक कार्यक्रमों में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है किन्तु कई क्षेत्रों से वैवाहिक कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन नहीं होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, जिस पर कार्यवाही के निर्देश पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा सभी प्रभारियों को दिया गया है, निर्देशों का पालन करते हुये दिनांक 21.04.2021 को छाल एवं भूपदेवपुर क्षेत्र में पुलिस टीम द्वारा शादियां हो रही घरों को चेक किया गया।

थाना प्रभारी छाल निरीक्षक विवेक पाटले ग्राम कूड़ेकेला, लात, बंगसुता, कटाईपाली, रिलो में स्टाफ के साथ विवाह घर में जाकर व्यवस्था देखे, जहां मास्क व सोशल डिस्टेंसिग का पालन न होता देख उनके द्वारा 1 से 5 हजार रूपये का जुर्माना किया गया है। थाना प्रभारी बताये कि लगातार क्षेत्र कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की समझाइश दी जा रही है, बावजूद इसके नियमों की अनदेखी की गई है, शादी कार्यक्रम को देखते हुये केवल फाइन किया गया है, जिससे आसपास के लोग नियमों का पालन करें। आगे ऐसा पाये जाने पर एफआईआर दर्ज किये जावेगे।

भूपदेवपुर थाना प्रभारी निरीक्षक उत्तम साहू द्वारा थानाक्षेत्र के जबलपुर, सिंघनपुर,देवरी और दर्री गांवों में शादी घर में व्यवस्था देखें। उनके द्वारा अनुमति से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर घरवालों को कड़ी फटकार लगाये। उनके द्वारा करीब 24 लोगों पर जुर्माने की कार्यवाही कर नियमों का पालन करने की समझाईश दी गई है।

## पशुओं की तस्करी कर झारखण्ड बुचडखाना ले जा रहे आरोपी गिरफ्तार, पिकअप जब्त

**पुसौर।** गुरुवार को पुसौर थाने के सहायक उप निरीक्षक इगेश्वर यादव एवं स्टाफ द्वारा पिकअप वाहन में कृषक पशुओं की तस्करी को देर रात्रि विफल किये। पुलिस की सूचना मिली थी कि पिकअप में अवैध रूप से कृषिधन लोड कर बोरोडीपा चौक पुसौर मार्ग होते हुये उडिसा होकर झारखण्ड में बुचडखाना कटिंग के लिए लेकर जा रहा है। स्टाफ द्वारा रात्रि करीब 03:30 बजे से बोरोडीपा चौक पर नाकेबंदी कर पिकअप वाहन का इंतजार कर रहे थे। तभी सुबह करीब 05:30 बजे वाहन पिकप तेज गति से कोडातराई मार्ग की ओर से एटीपीसी लारा रोड की ओर जा रही थी जिसे हाथ देकर स्टाफ रोकने का प्रयास किये तो पिकअप का चालक, वाहन को और तेज कर भागने लगा। पुलिस की वाहन पिकअप का पीछा करने लगी तो कुछ दूर आगे जाकर बाघाडोला मालीडीपा के पास पिकअप का चालक चौक के दाहिने तरफ खडी हारवेस्टर ट्राली में पिकअप को ठोंकर मार दिया और पिकप को छोड कर भाग गया। पिकअप में खलासी सीट पर एक व्यक्ति बैठा था जिसे पूछताछ करने पर अपना नाम ईश्वर सारथी पिता करमन सारथी उम्र 23 वर्ष साकिन बाघाडोला मालीडीपा थाना पुसौर का रहने वाला बताया। पिकअप क्र ओडी-14-ई-0845 में त्रिपाल से ढके लोड 08 कृषक पशुएं मिली, जिसे ठूस-ठूस कर क्रुरता पूर्वक लोड किया गया था। ईश्वर सारथी, वाहन चालक का नाम नहीं जानना बताया , उसने बताया कि मवेशी को गौरांग साव पिता इन्द्रा साव निवासी पचगांव थाना रेंगाली जिला झारसुगुडा के साथ खरीद कर ड्राइवर के साथ बुचडखाना झारखण्ड ले जा रहे थे। थाना पुसौर में आरोपी ईश्वर सारथी के विरूद्ध धारा छ0ग0 कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4,6,10,11 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। वाहन चालक एवं मवेशी तस्कर गौरांग साव भी प्रकरण के आरोपी हैं जिनकी पतासाजी की जा रही है।

## खरसिया पुलिस ने परिवार को राशन के साथ मृतक के संस्कार के लिए की आर्थिक मदद

**रायगढ़।** खरसिया शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्र में लॉकडाउन की व्यवस्था देखने निकले थाना प्रभारी खरसिया निरीक्षक सुमंत राम साहू को आज ग्राम सरवानी में गांव के चित्रकांत सागर पिता कन्हैया सागर उम्र 58 वर्ष के आकस्मिक निधन होने की जानकारी मिली , साथ ही ज्ञात हुआ कि चित्रकांत सागर पिछले 7 वर्ष से लकवा पीडित था तथा उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। लॉकडाउन दौरान इस परिवार के सदस्य के आकस्मिक निधन व परिवार की आर्थिक स्थित को देखते हुये अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुये थाना प्रभारी निरीक्षक सुमंत राम साहू द्वारा थाने की ओर से भारी विपत्ति से जूझ रहे परिवार के लिये चावल 50 किलो, दाल 8 किलो, आटा 6 किलो, तेल 3 लीटर, आलू प्याज एवम दो हजार रुपये मृतक के दशगात्र हेतु सहयोग के रूप में मृतक के पुत्र दुर्गेश सागर को दिया गया है। साथ ही संक्रमण को देखते हुये अधिक लोगों को दशगात्र कार्यक्रम में नहीं बुलाने की समझाईश दी गई है।

## कोविड के संबंध में भ्रामक जानकारी पोस्ट करने पर अंशू टुटेजा पर हुई एफआईआर

**रायगढ़ ।** कलेक्टर भीम सिंह द्वारा बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अपील जारी की गई है कि किसी भी प्रकार की भ्रामक या अपुष्ट जानकारी सोशल मीडिया में प्रकाशित न करें। इससे जनसामान्य में गलत सूचना जाती है एवं डॉक्टर व मेडिकल स्टॉफ भी हतोत्साहित होते है। इसी संबंध में नायब तहसीलदार रायगढ़ द्वारा अंशू टुटेजा निवासी रायगढ़ द्वारा अपने फेसबुक आईडी से भ्रामक जानकारी पोस्ट करने के संबंध में पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी है। एफआईआर में उल्लेख है कि अंशु टुटेजा द्वारा मेडिकल कालेज रायगढ़ में 4 वेन्टीलेटर है वो भी खराब है, के संबंध में भ्रामक जानकारी अपने फेसबुक आईडी में पोस्ट किया गया है, जबकि वर्तमान में मेडिकल कालेज में 13 वेन्टीलेटर चालू हालत में है। इस तरह से भ्रामक जानकारी फैलाने से नागरिकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भ्रम की स्थिति बनती है। अंशू टुटेजा पर इस तरह से गलत जानकारी प्रसारित करने के कारण एफआईआर दर्ज किया गया है।

## लॉकडाउन में कृषि एवं पशुपालन संबंधी कुछ गतिविधियों के संचालन को मिली सशर्त अनुमति

### » कलेक्टर भीम सिंह ने जारी किया आदेश

**रायगढ़ ।** कलेक्टर भीम सिंह द्वारा कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण जिले को 27 अप्रैल 2021 तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कंटेनमेंट अवधि के दौरान पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। जिसके तहत अब खरीफ फसलों की बुआई को दृष्टिगत रखते हुए जिले में स्थापित बीज के परिवहन एवं भण्डारण कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है। भारतीय खाद्य निगम रायगढ़ एवं रैक प्वाइंट में कार्यरत श्रमिकों को कार्यालय आने-जाने एवं कार्य करने की छुट शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करने की शर्त पर दी जाती हैं।

पशु चिकित्सा सेवायें अन्तर्गत संचालित गतिविधियों, दुग्ध एवं डेयरी प्रोडक्ट के निर्माण एवं विपणन, पशु आहार, पोल्ट्री फीड के निर्माण में आवश्यक सामग्रियों के आवागमन एवं परिवहन में संलग्न वाहनों को शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करने की शर्त पर छूट प्रदान की जाती है। वन विभाग के कार्यालयीन एवं मैदानी वन अमले को कार्यालय संचालन की अनुमति होगी। सभी महत्वपूर्ण दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर का संचालन अर्थात् टेलीफोन एक्सचेंज, मोबाईल स्विच मूवमेंट, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, ट्रांसमिशन सेंटर, डेटा सेंटर, मोबाईल टावर्स साइट, टीएसपीएस का कॉल सेंटर, ऑप्टिकल फाइबर केबल आदि। आदेश की शेष शर्तें एवं निर्देश यथावत रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

# डॉक्टरी सलाह न मानना साबित हुआ जानलेवा

### » कोविड टेस्ट की सलाह पर डॉक्टर बदल लिया लेकिन नही करवाया टेस्ट

**रायगढ़ ।** कोरोना के लक्षण होने पर टेस्ट कराने की डॉक्टर की सलाह को न मानना और समय से टेस्ट न कराना एक व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हुआ। बुखार आने पर इलाज के लिए पहुंचे व्यक्ति को जब डॉक्टर ने तत्काल टेस्ट कराने की सलाह दी तो उसे नजरअंदाज कर उसने टेस्ट नही कराया बल्कि इलाज के लिए डॉक्टर ही बदल लिया। दूसरे डॉक्टर ने भी तुरंत टेस्ट कराने के लिये कहा तो उनकी सलाह भी नही मानी। जब स्थिति गंभीर हुयी तो कोविड अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी अनुसार खरसिया विकासखंड के 60 वर्षीय एक व्यक्ति को 06 अप्रैल को बुखार आया। वह 07 अप्रैल को इलाज के लिए डॉक्टर के घर पहुंचा। वहां डॉक्टर ने बुखार के लक्षणों को देखते हुए ब्लड और यूरिन टेस्ट के साथ उसे कोविड टेस्ट कराने की सलाह दी। लेकिन पहले कोविड का रैपिड टेस्ट कराने के लिए कहा। व्यक्ति ने कोविड की जांच नहीं करवायी और केवल ब्लड और यूरिन की जांच करवा कर डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने उसे कोविड जांच नही करवाने पर फटकार लगायी। ब्लड और यूरिन की जांच में टाइफाइड और शुगर बढ़ा निकलने पर उसकी दवा लिखकर फिर से व्यक्ति को कोविड टेस्ट करवाने की सलाह उन्होंने दी। व्यक्ति और उनके परिजनों ने डॉक्टर की इस सलाह को पुनः नजर अंदाज किया और टेस्ट नही करवाया। 09 अप्रैल को व्यक्ति को सर में भारीपन और खांसी की दिक्कत शुरू हुयी। जिसके इलाज के लिए परिजन उसे 11 अप्रैल को पुनः उसी डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने दवाइयों के साथ फिर तुरंत जाकर कोविड टेस्ट कराने के लिए कहा। व्यक्ति ने फिर से टेस्ट नही कराया और दूसरे डॉक्टर के पास पहुंच गया। उन्होंने भी उस व्यक्ति को तत्काल कोविड टेस्ट करवाने के लिए कहा। उसने फिर से डॉक्टर की बात न मानते हुए बिना टेस्ट करवाए घर चला गया। रात में उसे सांस लेने में परेशानी हुयी तो परिजन उसे सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। यहाँ उसका एंटीजन टेस्ट किया गया। जिसमें वह व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया। उसकी स्थिति को देखते हुए तत्काल उसे ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ 200 बिस्तर मेडिकल कॉलेज कोविड अस्पताल रायगढ़ के लिए रेफेर किया गया। लेकिन रायगढ़ में अस्पताल पहुंचने से पहले ही व्यक्ति की मौत हो गयी थी।

कोविड का उपचार कर रहे चिकित्सकों के अनुसार अभी लोगों में तेजी से संक्रमण का स्तर बढ़ रहा है। शासन-प्रशासन लगातार लोगों को कोविड के लक्षणों को लेकर जागरूक कर रहा है। निःशुल्क टेस्टिंग व उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है। ऐसे में लोगों का इन निर्देशों के साथ डॉक्टर की सलाह को नहीं मानने से कितने गंभीर परिणाम आ सकते हैं यह इस मामले से समझा जा सकता है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि लक्षण दिखते ही तत्काल अपने नजदीकी जांच केन्द्र जाकर परीक्षण करवाएं। जिससे समय से उपचार शुरू हो सके और वे गंभीर स्थिति में जाने से बचें। उन्होंने कहा कि अब तो रिपोर्ट नहीं मिलने तक लक्षणों के आधार पर भी दवा देने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। ऐसे में लोगों को अपने लक्षणों को लेकर पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। थोड़े भी लक्षण दिखे तो देरी न करते हुए टेस्ट करवाएं और चिकित्सीय परामर्श से तुरन्त उपचार और दवाएं शुरू करें।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480